



समक्ष माननीय अध्यक्ष म० प्र० राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र.निगरानी- /पी.बी.आर./ 16

दिनांक - 2118- PBR-16

संजय वियाणी आ० स्व० श्री गोविन्द दास वियाणी  
निवासी बडा बाजार तहसील एवं  
जिला सिहोर म०प्र०

..... आवेदक

विरुद्ध

1. पवन वियाणी आ० स्व० श्री गोविन्द दास वियाणी
2. सुमन्त वियाणी आ० स्व० श्री गोविन्द दास वियाणी  
निवासी गण बडा बाजार तहसील एवं

जिला सिहोर म०प्र०

.....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक ~~का~~ विद्वान तहसीलदार तहसील हुजूर वृत्त-3 जिला भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क्र० 32/अ-6/15-16/ में पारित आदेश दिनांक 20/06/16 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री प्रदीप कुमार  
क्र. 21 दिनांक 27/6/16  
3/ नोवम्बर  
5/5/21  
3/

NA  
7/6/16

28.6.2016

R 218-PA32/16 सीटिंग

श्री उमेश

उत्तर

आवेदक की ओर से श्री प्रेम सिंह  
 अभिभावक उपस्थित। ग्राहता का प्रश्न  
 वकील का विचार किया गया। तहसीलदार  
 के द्वारा तारीख 20.6.2016 की  
 सत्र प्रतीति का अवकाश दिया गया।  
 तहसीलदार द्वारा आवेदक के आवेदन को  
 उमेश पञ्चसुनवारि का अवकाश देकर  
 प्रश्न वकील का विचार किया जाकर  
 निरस्त किया गया है, जिसमें प्रश्न  
 दृष्ट्या कोई अर्थव्यवस्था पालिसी  
 नहीं होती है। आवेदक को तहसील  
 -शाखा में सुनवारि का अवकाश उपलब्ध  
 है, वही इस शाखा में प्रश्न  
 वकील को उठाया जा सकता है/अतः  
 यह प्रिगरानी आधारहीन होने से  
 अग्रहण की जाती है।

Om  
21/6

अध्यक्ष